रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-72/2025/257के-2/22-3-25-17(5)/08-टी0सी0-1

लखनऊः दिनांकः20 मार्च, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी रामसूरत (बन्दी संख्या-44342) पुत्र श्री सुघलू, निवासी ग्राम-विशुनपुर बुजुर्ग, थाना-खोरावर, जनपद-गोरखपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-ए-414/1974 में भा०द०वि० की धारा-302/149, 307/149, 324/149, 201/149, 147, 395 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 24-04-1976 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 06-03-2023 तक भोगी गई 21 वर्ष, 06 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष, 10 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा, आयु 70 वर्ष से अधिक होने, संतोषजनक जेल आचरण होने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या व तदनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, 30प्र0 को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।

6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि०) सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 एवं रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या-14/2025 परदेशी (CPVNS 42225) व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-01-2025 के सन्दर्भ में।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in